



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail:- registrar_sua@yahoo.in

Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक: 2906/अकादमिक/शोध/2015

अम्बिकापुर, दिनांक 21/7/2015

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 42 की कंडिका 10 (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित विषयों में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा में उल्लिखित शर्तों के साथ में अस्थायी शोध केन्द्र के रूप से कार्योत्तर प्रभाव से घोषित किया जाता है -

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	विषयों का नाम जिनके लिये शोध केन्द्र घोषित किया जाता है
1	शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)	हिन्दी, राजनीतिशास्त्र
2	राजीव गान्धी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)	अंग्रेजी
1	होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज, अम्बिकापुर (छ.ग.)	माइक्रोबायोलॉजी
2	शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुरनगर (छ.ग.)	अंग्रेजी
5	किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)	अंग्रेजी
6	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	गृह विज्ञान

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 2907/अकादमिक/शोध/2015

अम्बिकापुर, दिनांक 21/7/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित की ओर अग्रेषित :-

- (1) माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) प्राचार्य, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय एवं शोध केन्द्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित शर्तें एक माह के अन्दर पूरा करें। जिससे शोध केन्द्र को स्थायी मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जा सके।
- (3) सम्बन्धित संकाय/अध्ययन मण्डल के संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष को सूचनार्थ।
- (4) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/वित्त/विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- (5) कार्यालयीन नस्ती।

स्थापना

कुलसचिव